

**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, चड़गावाँ, नामकुम, राँची**  
**(छात्रवृत्ति परीक्षा कोषांग) झारखण्ड, राँची।**

**विज्ञापित संख्या - 46/2015**

**राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2015-16**  
**कक्षा VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए**

एतद् द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका तथा वर्ग VIII में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वर्ष 2015-2016 में अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के हितार्थ राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme) नामक योजना अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में कुल 1,00,000 (एक लाख) मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। इसके आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2015-2016 का आयोजन दिनांक 08 नवम्बर 2015 (रविवार) को करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ग IX से वर्ग XII तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

2. पात्रता:- झारखण्ड राज्य में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत वैसे छात्र-छात्रा, राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2015-16 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो:-

(i) शैक्षणिक सत्र 2014-2015 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ 7वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो एवं सत्र 2015-2016 में अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी)।

(ii) जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हो।

(iii) केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है के छात्र-छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे।

3. आरक्षण:- (क) झारखण्ड राज्य में लागू आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को देय होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय होगा। इस हेतु जिला असेनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत अनुमान्य विकलांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। (ख) आरक्षण के लाभ हेतु आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

**नोट:- प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने के स्थिति में अभ्यर्थी सामान्य कोटि के समझे जायेंगे एवं उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।**

4. आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क:- आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार है:- (क) सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों हेतु - 100/- (एक सौ रुपये)।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 50/- (पचास रुपये)।

(परीक्षा शुल्क, आवेदन-पत्र में ही समाहित है। आरक्षित कोटि के छात्र-छात्राओं को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन-पत्र प्राप्ति के समय देना अनिवार्य है)।

5. आवेदन पत्र को कैसे प्राप्त करें:- आवेदन पत्र को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वेबसाइट [www.jac.nic.in](http://www.jac.nic.in) से download कर आवेदन पत्र प्राप्त करें। बैंक ड्राफ्ट NMMS के नाम से जारी एवं Ranchi के नाम से भुगतें हो।

6. आवेदन-पत्र जमा करने का स्थान एवं अंतिम तिथि:- सभी परीक्षार्थी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र अपने-अपने विद्यालय में दिनांक 08.09.2015 तक प्राचार्य/प्राचार्या के कक्ष में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधान सभी आवेदन पत्र को कोटिवार (GEN, SC, ST, BC) अलग-अलग समेकित सूचि में तैयार कर अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.09.2015 शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में हस्तगत करायेंगे। विलम्ब से लाये गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. परीक्षा तिथि:- परीक्षा दिनांक 08.11.2015 (रविवार) को राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक आयोजित की जायेगी।

8. परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम:- परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए NCERT द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुरूप किया जायेगा। राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग VIII के स्तर के होंगे। इसके अन्तर्गत प्रश्न-पत्र दो खण्डों में होगा:-

**खण्ड-1:-** बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) - इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसके लिये 90 मिनट का समय निर्धारित होगा, जिसमें Verbal

and Non-Verbal meta-cognitive abilities जैसे कि reasoning एवं Critical thinking के प्रश्न रहेंगे। इसके अंतर्गत analogy classification, numerical series pattern perception, hidden figures के प्रश्न रह सकते हैं। इसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे।

**खण्ड-2:-** शैक्षिक योग्यता परीक्षण (Scholastic Ability Test) - इसके अन्तर्गत प्राकृतिक Science, Social Science एवं Math विषय के प्रश्न समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। इसके लिए 90 मिनट का समय निर्धारित रहेगा। इसके भी सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न वर्ग VIII के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।

विकलांग छात्र-छात्राओं को दोनों खण्डों में निर्धारित समय से 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा। केन्द्राधीक्षक के द्वारा ऐसे विकलांग छात्र/छात्राओं के कक्षा 7 में अध्ययनरत छात्र को श्रुतिलेखक, आवश्यकता होने पर नियुक्ति किया जा सकता है, जिसका अनुमोदन केन्द्राधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

9. छात्रवृत्ति की संख्या:- भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए कुल 1959 छात्रवृत्ति निर्धारित की गयी है। जिला स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं को वर्ग 9 से 12 तक (अधिकतम 4 वर्ष) लगातार अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 6000/- (छः हजार) रुपये की दर से त्रैमासिक बैंक खाता के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति जारी रहने हेतु वर्ग 9 एवं वर्ग 11 की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक एवं वर्ग 10 की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी)।

जिलावार छात्रवृत्ति की संख्या एवं जिला कोड निम्नवत् है:-

क्रम	जिला का नाम	जिला कोड	छात्रवृत्ति संख्या
1	राँची	01	115
2	गुमला	02	68
3	सिमडेगा	03	53
4	लोहरदगा	04	36
5	पूर्वी सिंहभूम	05	178
6	पश्चिमी सिंहभूम	06	73
7	सरायकेला/खरसावाँ	07	64
8	लातेहार	08	36
9	पलामू	09	124
10	गढ़वा	10	88
11	हजारीबाग	11	81
12	चतरा	12	68
13	कोडरमा	13	38
14	गिरिडीह	14	255
15	बोकारो	15	102
16	धनबाद	16	133
17	दुमका	17	60
18	गोड्डा	18	49
19	देवघर	19	81
20	जामताड़ा	20	40
21	पाकुड़	21	37
22	सहेबगंज	22	50
23	खुँटी	23	53
24	रामगढ़	24	77
कुल			1959

10. छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र-छात्रा से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र (वर्ग IX, X, XI, XII) के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के सम्पर्क में रहे।

11. आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, IFS Code, मोबाईल नम्बर एवं आधार संख्या का अवश्य उल्लेख करें ताकि आपको चयनित होने के पश्चात् ससमय छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

12. किसी प्रकार की असुविधा की स्थिति में टेलीफोन नं. 0651-6453344 एवं टोल फ्री नं. 18003456523 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- सचिव, सह नोडल पदाधिकारी,

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा,  
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, झारखण्ड, राँची।

JAC/Sch/05/13/SECY/264/15  
Dt. - 19.08.2015  
D.O.P. - 20.08.2015